एफ.सं. डब्ल्यू-02/0038/2017-डीपीई (मजूरी कक्ष)-जीएल-VII/2022

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 11.04.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों को डीए का भुगतान, 7वें सीपीसी वेतनमान में आहरित वेतन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0058/2016-डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17.08.2017 के पैरा संख्या 3 और अनुबंध- II (क) और II (ख) को संदर्भित करने का निदेश दिया जाता है जिसमें सीडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को दर्शाया गया है।

2. कर्मचारियों को देय डीए **दिनांक 01.01.2022** से **31%** की मौजूदा दर से बढ़ाकर **34%** किया जाए।

3. महंगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. ये दरें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित किया जा चुका है।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी आगे होने वाली कार्रवाई को आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं ।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव